न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 144/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामावतार पुत्र प्रभाती जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर

:------- अपीलांट वादी

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बानसूर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बानसूर दिनांक 24.6.09

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री ब्रहमप्रकाश यादव

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री विनोद यादव

निर्णय दिनांक 17.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/07 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी अपीलांट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हालस खसरा नम्बर 63 रकबा 73

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

एयर, जो हाल बंदोबस्त सम्वत 2060 में साबिक खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से बना है, याके ग्राम बाबरिया तहसील बानसूर का 1/2 भाग विवादित है । यह कुल आराजी रेकार्ड में गैर मुमकिन बेहड (सिवायचक) दर्ज है, परन्तु इस कुल आराजी पर मौके पर सदा से ही काश्त होती आ रही है । इस आराजी के 1/2 भाग तरफ पूर्व पर वादी सम्वत 2030 से बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी का 38 साल से भी ज्यादा से कब्जा चला आ रहा है । इसलिये वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क देते हुये बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट वादी की गैर माजूदगी में पारित किया गया है । अपीलांट वादी को कोई सूचना नहीं दी गई थी । जब पटवारी हल्का ने दिनांक 28.8.09 को मौके से बेदखल करने की धमकी दी तो जानकारी हुई । अपीलांट वादी ने दिनांक 28.8.09 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जो दिनांक 24.9.09 को प्राप्त हुई । इसके बाद वकील से कानूनी सलाह लेकर यह अपील प्रस्तुत कर दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है ।

4 विद्वान वकील अपीलांट वादी ने आगे तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने वाद में दिनांक 18.6.2009 की पेशी पर दिनांक 22.6.09 की पेशी वास्ते रिपोर्ट मौका पटवारी मंगाने नियत की थी । इसके बाद ना तो दिनांक 24.6.09 की तारीख नियत की गई थी और ना ही किसी प्रकार की बहस सुनी गई थी । मनमाने तौर पर तारीख नियत कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । कोई तनकी कायम नहीं की, ना ही कोई साक्ष्य ली, ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया । विवादित आराजी के 1/2 भाग पर वादी 40 साल से भी ज्यादा समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकिन बेहड सिवायचक नहीं है, काबिल काश्त है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

। खसरा परिवर्तनशील में वादी अपीलांट की काश्त होने का अंकन होता रहा है । वादी अपीलांट को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं । दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद पत्र को साबित कराया है, परन्तु फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है, इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन बेहड सिवायचक है, जिस पर टिनेंसी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7 अपीलांट का यह कथन है कि दिनांक 22.6.09 की पेशी मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु नियत की गई थी और इसके बाद कोई पेशी दिनांक 24.9.09 की नियत नहीं की गई थी, बिना सुने ही दिनांक 24.9.09 को निर्णय कर दिया । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । दिनांक 18.6.09 की ऑर्डर शीट से पत्रावली दिनांक 22.6.09 नियत की गई थी । दिनांक 22.6.09 के बाद पत्रावली निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 24.6.09 को प्रस्तुत हुई है । इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 22.6.09 को सुनवाई की गई थी, परन्तु सहवन से ऑर्डर शीट दिनांक

15/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

22.6.09 की लिखी नहीं है । अतः अपीलांट की उपरोक्त आपत्तियों को खारिज किया जाता है ।

8 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बेहड सिवायचक है । वादी अपीलांट ने अपने विगत 30 सालों के कब्जे का कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है । केवल कुछ वर्षो की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है । वादी अपीलांट इस आराजी पर अपने लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा रहा है । इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों पर खातेदारी देने पर पाबन्दी है । इस प्रकार वादी अपीलांट का प्रकरण ना तो रिमांड योग्य है और ना ही डिक्री योग्य है । विद्वान तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.09 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

13/11/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner